

न्यायालय आरबीट्टर लिग कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2017 फोरलेन

उपरोक्त

भारत सरकार जलिय भारतीय राष्ट्रीय बचत
 राजमान प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजमान
 संख्या 758 राजसमन्द-भीलवाड़ा
 संख्या 6-ए-1 कायदालय
 आरबीट्टर संख्या 10/2017 भीलवाड़ा

—पक्षी—

—विपक्षीय—

कायदाही अन्तर्गत धारा 3 जी (5)नेशनल हाईवे एक्ट 1956 विरुद्ध अर्वाड संख्या एन.
 एच. 758 मिस अर्वाड/4/2014/प्रतिनिधायण/158 (राजसमन्द-भीलवाड़ा संस्थान)
 दिनांक 25.05.2015 सपडित अतिरिक्त अर्वाड आदेश दिनांक 14.06.2016

उपस्थित:— श्री दिनेश चन्द बापना, आडिओ पक्षी
 श्री गणेश अजमेरा, अग्रणी संख्या 02

आदेश

दिनांक 18/07/2018

पक्षी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3 जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट
 1956 सक्षम प्राधिकारी (मिस अर्वाड) एवं उपखण्ड अधिकारी गणापुर के प्रकरण संख्या
 4लेन/2014/प्रतिकर निर्धारण/158 निष्पत्ति दिनांक 25.05.2015 एवं अतिरिक्त अर्वाड
 आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमान संख्या
 758(राजसमन्द से भीलवाड़ा संस्थान) को चौड़ा करने/चार लेन सड़क निर्माण हेतु
 भारत का राजपत्र का.आ.1813(अ) दिनांक 14.08.2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी
 गणापुर को तहसील सहाड़ा की मिस अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी(मिस अर्वाड) के
 लिए नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय राजमान अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत
 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2329(अ) दिनांक 28.09.2012 द्वारा
 सहाड़ा तहसील के अन्तर्गत ग्राम सहाड़ा की उक्त परिचयना हेतु मिस का अधिग्रहण
 करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गयी। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमान
 अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के अन्तर्गत मिस के हितबद्ध व्यक्तियों का विवरण,
 मिस की किस्म, रकबा आदि का विवरण भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या
 2906(अ) एवं 2909(अ) दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशित होकर अधिनियम की धारा 3
 क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 24.11.2012 का दैनिक भारत और दिनांक
 26.11.2012 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन करवाया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा
 ग्राम सहाड़ा की आनं 5751 रकबा 0.06 हेो किस्म गैर-0 आबादी में से 0.0255
 हेक्टर वाणिज्यिक एवं 0.0345 हेक्टर आवासीय रकब का 47344 रूपये प्रतिवर्गमीटर
 वाणिज्यिक की दर से तथा 3141.92 रूपये आवासीय दर से मूआवजा राशि
 1,42,28,096 रूपये निर्धारित की गई। चूंकि उक्त अर्वाड पूर्व दिनांक 25.05.2015 को
 प्रतिकर राशि 1,42,28,096 रूपये का जारी किया गया जिसे संशोधित करते हुए दिनांक
 14.06.2016 को जारी किया गया था क्योंकि रिफरेंस एक्ट 2013 दिनांक 01.01.
 2015 से प्रभावी हो चुका था जिससे उक्त अर्वाड को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के
 अन्तर्गत संशोधित कर दिनांक 14.06.2016 को संशोधित अर्वाड जारी किया गया

श्रीलाल
 दिनांक कलक्टर

7

लेकिन पूर्व में पारित अवाइड में भीम की किस्म अर्जुनसुर दसों में परिवर्तन नहीं किया गया जिससे उक्त अवाइड(मूल एवं संशोधित) के विकसित निम्न आधारा पर यह परिवार प्रस्तुत है जिसके संश्लेष तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 संक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3 ए की अधिसूचना से पूर्व अवाइड होने वाली भीम बाबत राजस्व अभिलेख एवं सम्बन्धित तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कर उस अर्जुनसुर सूची बनाकर अधिनियम की धारा 3 ए के तहत प्रकाशन हेतु प्रेषित की गयी जो भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.09.2012 को प्रकाशन कराया गया एवं तत्पश्चात अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भी हितबद्ध व्यक्तियों, भीम की किस्म एवं रकब का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशन कराया गया एवं तत्पश्चात अधिनियम की धारा 3 डी के तहत भी हितबद्ध व्यक्तियों, भीम की किस्म एवं रकब का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशन कराया गया। विपक्षी संख्या 2 की अवाइड की गयी भीम की किस्म राजस्व अभिलेख में गैर 0 आबादी अंकित थी जिसकी अधिनियम की धारा 3 ए की अधिसूचना 0.0255 हेक्टर भीम का मुआवजा निर्धारित कर दिया जा किस्सी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अधिनियम की धारा 3 ए एवं 3 डी प्रकाशन में उक्त अवाइड की गयी भीम की किस्म बाणिज्यिक दर्ज नहीं है जिससे संक्षम प्राधिकारी को मुआवजा निर्धारित करते समय भीम की किस्म गैर 0 आबादी के आधार पर ही मुआवजा निर्धारित करना चाहिए था। इस सम्बन्ध में परिवारी ने अपने पत्रांक 3651 दिनांक 04.06.2015 द्वारा भी अवाइड कराया था लेकिन संक्षम प्राधिकारी ने इस पत्र की अनदेखी कर विधि विधायित संशोधित अवाइड जारी करमाया जा निरस्त किसे जाने योग्य है। कृषि भीम की अर्कषि आवासीय/व्यावसायिक संप्रतिवर्तन कराने के लिए संप्रतिवर्तन शुल्क निर्धारित किया गया है। संप्रतिवर्तन शुल्क अदा करने के उपरान्त ही भीम की किस्म कानूनन परिवर्तित की जा सकती है। इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। संक्षम प्राधिकारी को राज्य हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुए कानूनन 3 ए व 3 डी में वर्णित भीम की किस्म को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3 जी 7 (ए) में वर्णित प्राधान्यों के अर्जुनसुर मुआवजा निर्धारित करना चाहिए था। संक्षम प्राधिकारी जी ने आवासीय भीम का बाणिज्यिक दर से मुआवजा निर्धारित कर विपक्षी संख्या 2 में वर्णित प्राधान्यों के अर्जुनसुर मुआवजा निर्धारित करना चाहिए था। अधिनियम 1956 की धारा 3 ए एवं 3 डी के तहत प्रकाशित अधिसूचना के पश्चात अधिनियम की धारा 3 सी में वर्णित अर्जुनसुर 21 दिन के भीतर-भीतर हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से कोई आपत्ति प्रमाण सहित इस आशय की पेश नहीं की गयी कि उनकी भीम की किस्म आवासीय नहीं है। वैसे भी पूर्व घोषित स्टेट हाइवे एवं नेशनल हाइवे के सड़क परियोजना (कन्स्ट्रक्शन) के दानों तरफ 40 मीटर की भीम) को बिना संक्षम प्राधिकारी/उच्च प्राधिकारी के आदेश के भीम का रूपांतरण भी कानूनन सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में संक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवाइड किस्सी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किसे जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि परिवारदपत्र परिवारी स्वीकार करमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पारित अवाइड संख्या 158 दिनांक 25.05.2015 व संशोधित अवाइड दिनांक 14.06.2016 निरस्त करमाते हुए अधिनियम की धारा 3 ए व 3 डी में अंकित भीम की किस्म

4

की किस्म एवं मौक पर हो रहे उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर का निर्धारण
 डीएलसी दर के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार किया
 जाने का उल्लेख है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 02
 के द्वारा बहस में बताया कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर के
 द्वारा जारी किया गया अगुड उचित होकर हितबद्ध व्यक्तियों को जो मुआवजा दिया
 गया है वह रिफ्लेक्टर एक्ट 2013 के प्रावधानानुसार एवं धारा 3 ए के समय
 प्रचलित डीएलसी अनुसार उचित है। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने बहस में बताया कि
 मुँस अर्वादि अधिसूचना के समय वर्तित उद्योग रोड, जाट छावांस एवं मीलवाड़ा
 रोड मील तक की 30 फीट चौड़ाई सड़क के दोनों तरफ की भूमि को जिला स्तरीय
 समिति (डीएलसी) द्वारा वाणिज्यिक मानते हुए इस अनुक्रम इस विशेष विहित स्थान
 की डीएलसी दर का निर्धारण स्पष्ट व प्रमाणित हो चुका है। इस क्षेत्र की अन्य
 आवासीय के विकल्प से सम्बन्धित पंजीयन दस्तावेजों की फोटो प्रतियां व मास्टर
 प्लान नगरपालिका गंगापूर का प्रस्तुत किया। ग्राम सहाजा में सहाजा बस स्टैंड से
 जाट छावांस एवं वाडू संख्या 6 व 7 के क्षेत्र की भूमियों का जब-जब भी विकल्प
 हुआ उसक दस्तावेजों का पंजीयन बिना संपरिवर्तन के ही बढी हुई डीएलसी दर पर
 हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में वर्तमान में किसी भी भूमि पर कोई कृषि नहीं हो रही है।
 मौक पर आवासीय एवं वाणिज्यिक प्लॉट होकर इसी अनुसार भूमियों का विकल्प हो
 रहा है। प्रतिकर भुगतान हेतु मूल्य आधार डीएलसी है इस प्रकार जो अगुड जारी
 किया है वह उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
 हमने उपयुक्त के अधिवक्ताओं की बहस के बिन्दुओं तथा पंजीयनों में
 प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पंजीयनों का अध्ययन करने पर निम्न
 तथ्य स्पष्ट होते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द-मीलवाड़ा सेक्शन निर्माण के लिए
 अधीनस्थ भूमियों के सम्बन्ध में धारा 3 ए (1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन
 दिनांक 28.09.2012 को जिसका दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24.11.2012 व
 26.11.2012 का प्रकाशन करवाया गया व धारा 3डी(1) के अन्तर्गत अधिसूचना का
 प्रकाशन दिनांक 25.09.2013 को करवाया जाकर अर्वादि की कार्यवाही की गई।
 अप्रार्थी संख्या 2 की खतदारी की ग्राम सहाजा की आरजी आ10न0 5751 रकबा 0
 06 है किस्म नर्स0 आवासीय में से 0.0255 हेक्टर का मुआवजा वाणिज्यिक दर
 47344 रुपये प्रतिवर्गमीटर से कुल 1,20,72,720 रुपये तथा 0.0345 हेक्टर का
 मुआवजा आवासीय दर 3141.92 रुपये प्रतिवर्गमीटर से कुल 10,83,962 रुपये
 सरचना राशि 13,36,646 रुपये एवं 10 प्रतिशत सोलरियम राशि 13,15,668 कुल
 राशि 1,42,28,096 रुपये के प्रतिकर के भुगतान हेतु अगुड संख्या 158 दिनांक
 25.05.2018 को जारी किया जिसका अतिरिक्त अगुड दिनांक 14.06.2016 को जारी
 किया यौक्त भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्वास्थापन में उचित प्रतिकर और
 पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01.01.2015 से लागू हो जाने से उक्त
 अगुड का संशोधित/अतिरिक्त अगुड दिनांक 14.06.2016 को जारी किया गया।
 सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अधीनस्थ भूमि की किस्म धारा 3-ए व 3-डी की
 अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि को अधीनस्थ आरजी नम्बर 5751 की किस्म
 राजस्व रिफ्लेक्ट में गैर0 आवादी अंकित होते हुए भी उक्त भूमि का प्रतिकर
 आवासीय/वाणिज्यिक दर से निर्धारित करते समय सक्षम प्राधिकारी के द्वारा
 सम्बन्धित हितधारी से किसी प्रकार का साक्ष्य/दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाते इस
 सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी(भूमि अर्वादि) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापूर से रिपोर्ट
 प्राप्त की जाने पर अपने पत्रांक/एनएच-758/2018/358 दिनांक 28.05.2018 से

Handwritten mark

निर्धारण/158 दिनांक 25.05.2015 एवं अतिरिक्त अगुई दिनांक 14.06.2016 में संलग्न मू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का सहाजा की रिपोर्ट बैंक मीमां पर अंकित है जिसके अनुसार अवाप्ताखीन मूिम पर कुकानों का निर्माण, अन्य व्यक्तियों की रजिस्ट्रिया, नगरपालिका गंगापुर से पट्टा जारी लेकिन रेकार्ड में अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी अनुसार नॉसॉ 2617 दिनांक 09.04.2015 से सम्पूर्ण खाला नगरपालिका गंगापुर के नाम दर्ज है। परन्तु नगरपालिका गंगापुर के द्वारा अपने पत्रांक/न.पा.ग. /2015-16/207 दिनांक 08.06.2015 से यह अनपत्ति दी कि आनॉ 5751 रेकबा 0.06 है0 में से जितनी मूिम अवाप्ति में जाती है उसका मूआवजा श्रीमती आशादेवी पति वेलन प्रकाश अशवाल(हिलवानिया) निवासी गंगापुर को किया जाता है तो पालिका को कोई अपत्ति नहीं है। इसमें मूिमधारी तहसीलदार सहाजा से किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई कवल उप पजीयक सहाजा से अवाप्ति की जाने वाली मूिम की डीएलसी के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। उप पजीयक सहाजा के द्वारा ग्राम सहाजा तथा सहाजा बस स्टूड से जाट छात्रावास, गीज तथा वाड सहाजा 6 व 7 में स्थित मूिमियों के विक्रय सम्बन्धी दरतावेजों के पजीयन जिस दर से किये जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में मूिमधारी के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.09.2015 का प्रेषित की है जो कि राज्य सरकार द्वारा स्टम्प ड्यूटी वसूल किए जाने की दर है। मूिम अवाप्ति की जाने वाली मूिम की किस्म राजस्व रिपोर्ट में मूिम0 आबादी है। मूिम अवाप्ति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 में बाजार दर के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है जारी अगुई दिनांक 25.05.2015 से ही स्पष्ट हो रहा है कि अवाप्ताखीन मूिम में से 1600 वर्गफुट मूिम का ही मूिके पर गणितीयक उपयोग हो रहा है। इसके बावजूद भी सक्षम प्राधिकारी (मूिम अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा 255 वर्गमीटर मूिम का गणितीयक दर से प्रतिकर का निर्धारण किया जा विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। यह दर राज्य सरकार द्वारा मूिमियों के क्रय-विक्रय पर पजीयन शुल्क वसूली हेतु है न कि प्रतिकर राशि गणना हेतु। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी (मूिम अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के द्वारा अवाप्ति की जाने वाली मूिम का प्रतिकर आवासीय एवं गणितीयक संपरिवर्तित रकब अनुसार गणना नहीं कर अगुई जारी किया जा विधिसम्मत नहीं है। वकील प्राणी के द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण एस0बी0सिविल फिस0 अपील संख्या 2044/2016 परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंडियन बाई पास सीकर राज0 बनम गावरमल सिंधानिया मूिमरियल ट्रेस्ट डी-1 शास्त्रीनगर, जयपुर निर्णय दिनांक 30.06.2016 में निम्न अभिकथन किया है कि "प्रतिकर राशि निर्धारण करने के लिए अवाप्ताखीन मूिम की प्रकृति व किस्म एक संसगत एवं महत्वपूर्ण तथ्य है तथा ऐसी सूत्र में विद्वान मध्यस्थ महोदय का यह मत अनिवार्य है कि 1956 के अधिनियम की धारा 3-बी(7)(ए) के अधीन बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए अवाप्ताखीन मूिम की प्रकृति व किस्म असगत है। उक्त प्रतिपादित मापदण्डों के आधार नहीं बनाया जा सकता जबकि वर्तमान प्रकरण में बाजार मूल्य एवं अगुसार डीएलसी दर को बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए कानूनन निर्धारण नहीं किया गया है।"

श्रीलंका
जिला कलेक्टर (आर्बाईईट/ई)
(श्रीलंका)

प्रार्थना/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग मसि अवधि अधिनियम 1956 विच्छेद आदेश मसि अवधि/प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी) राजापुर बसमाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द-श्रीलंका संयोजन) प्रकरण संख्या /2014/प्रतिकर निधो/158 निर्णय दिनांक 25.05.2015 एवं संशोधित अतिरिक्त आदेश दिनांक 14.06.2016 को निरस्त करते हुए प्रतिकर राशि पुनः निर्धारण हेतु प्रतिप्रतिबत किया जाता है। तलबिदा रकम का मसि निर्णय प्रति क अधीनस्थ मसि अवधि/उपखण्ड अधिकारी/राजपुर को लौटाया जावे। आदेश आज दिनांक 07/2018 को मसि द्वारा लिखाया जाकर खले न्यायालय में सौंपाया गया।

आदेश

अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (मसि अवधि) एवं उपखण्ड अधिकारी, राजापुर को इस आदेश व निर्देश के साथ प्रतिप्रतिबत किया जाता है कि ग्राम सहडां की आ०न० 5751 रकबा 0.06 है 0 किस्म गी० आबादी में से 0.0255 है ईट्टर वॉलुमिटर एवं 0.0345 है ईट्टर आवासीय के बाजार मूल्य एवं प्रतिकर राशि का निर्धारण संयोजन विधिक एवं मौका स्थिति तथा मसि की किस्म को आधार बनाकर किया जावे। सक्षम प्राधिकारी से अधिगत है कि वे आवादाधीन मसि के निकट क्षेत्र में स्थित मसि के लिए निर्धारित विषय पत्र, मसि की स्थिति एवं किस्म तथा प्रचलित संयोजन विधिक सिद्धान्तों को आधार बनाकर अप्रार्थी की आवादाधीन मसि की प्रतिकर राशि का निर्धारण करे।

किया जाना चाहिए था। यद्यपि प्रतिकर राशि या बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऐसी मसि के लिए निर्धारित डीएलसी को भी एक मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है किन्तु केवल डीएलसी दर को आधार बनाकर बाजार मूल्य व प्रतिकर राशि का निर्धारण कदापि नहीं किया जा सकता है। "इसके दृष्टि में उक्त निर्णय इस प्रकरण पर पूर्वतया लागू होता है। अर्थात् अपील की जाने वाली मसि की मौका स्थिति, किस्म तथा इसके आस-पास की इन्फ्रि किस्म की अन्य मसियों की प्रचलित बाजार दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किया जाना चाहिए इसके लिए मात्र डीएलसी आधार नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी (मसि अवधि) एवं उपखण्ड अधिकारी, राजापुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रतिप्रतिबत विधिक सिद्धान्तों की उपेक्षा व अवहेलना कर आवाड पाहित किया जा अपास्त किए जाने योग्य होता है।